न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विश्राम मीणा, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33 / 2016

अपीलांट–

भींयाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी तुलछी नगर शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. खेताराम पुत्र जेठारा के कायम मुकाम
   1.1. पोकरराम पुत्र खेताराम
   1.2. दुर्गाराम पुत्र खेताराम
   1.3. ठाकराराम पुत्र खेताराम
   1.4. मीरों पत्नी खेताराम
   जाति जाट निवासी तुलछी नगर शिवकर, तहसील व जिला बाड़मेर
   1.5. बीरों पुत्री खेतांराम पत्नी रावताराम जाति जाट निवासी कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर
   1.6. रूखी पुत्री खेताराम पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी बूठ तहसील बाड़मेर
   1.7. रेखों पुत्री खेताराम पत्नी हड़मानराम जाति जाट निवासी शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर
2. पारसमल पुत्र रिखबदास जाति जैन निवासी गणपति चौक, बाड़मेर
3. बाबूलाल पुत्र शिवलालचन्द जाति जैन निवासी महाबार रोड़, बाड़मेर
4. कमलादेवी पत्नी भूरचन्द जाति जैन निवासी भागू जटिया की गली, न्यू जैन मौहल्ला, बाड़मेर
5. तहसीलदार बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:46:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्व (राजस्थान) अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 07.07.2015 जा. तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांट व उत्तरदाता सं. 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थिति :–

1. श्री चैनाराम सारण, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं. 1/2 व 1/3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री तरूण व्यास, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2–4 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 5 प्रफॉर्मा पक्षकार।
5. दिगर रेस्पोडेंट्स बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 22.02.2021

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 07.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा तुलछीनगर के खसरा नम्बर 992, 993, 1074/978, 1076/994 रकबा क्रमशः 00–07, 00–11, 31–07, 89–12 कुल रकबा 121–17 बीघा के खातेदारान खेता, भींया पि0 जेठा कौम जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2015 के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत गालाबेरी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी शिवकर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा तुलछीनगर के खाता संख्या 11 खसरा नं. 992, 993, 1074/978, 1076/994 कुल रकबा 121–17 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही है तथा सभी खातेदारान इससे सहमत है। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2146–2148 दिनांक 07.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested

अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 21.09.2015 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की हैं। सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने से पूर्व यह आवश्यक हैं कि भूमि की उर्वरा, अवस्थिति एवं कब्जा को ध्यान में रखा जाकर विभाजन किया जाना चाहिए। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया हैं, ऐसे में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से खारिज योग्य हैं। अपीलाधीन आदेश से पूर्व अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य पूर्व में हुए बाहमी बंटवाड़ें से भिन्न तरमीम प्रस्तावित की जाकर बंटवाडा किया गया हैं जिससे मौके कब्जे एवं तरमीम में भिन्नता आ गई हैं जिसके कारण अपीलांट की ढाणी व बाड़े आदि रेस्पो0 के कब्जे में चले गये हैं, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 की भूमि के मध्य सड़क मार्ग निकलता हैं इस कारण दोनों पक्षकारों को सड़क मार्ग की सुविधा प्रदान करते हुए बंटवाड़ा किया जाना चाहिए था किन्तु रेस्पो0 सं. 1 ने सड़क मार्ग के पास कीमती भूमि अपने स्वंय के हिस्से में रखते हुए अपीलांट को धोखे में रखते हुए बंटवाड़ा किया गया। अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 07.07.2015 की पालना में नामान्तरकरण भी पारित कर दिया तथा लट्ठा ट्रेस में अलग-अलग तरमीम भी कर दी जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई परन्तु वर्तमान में अर्सा एक माह पूर्व रेस्पो0 सं. 1/1 से 1/7 ने अपीलांट को पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडे के अनुसार कब्जा हटाने का कहा, जिस पर अपीलांट ने ऐसा करने का कारण पूछा तो रेस्पो0 ने बताया कि आपके कब्जे-काश्त वाली भूमि बंटवाड़े में हमारे हिस्से में आई है तथा आपको कब्जा खाली करना पड़ेगा, वर्ना आपको जबरन बेदखल करना पडेंगा। इस पर अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी, जो दिनांक 28.08.2015 को प्राप्त हुई तथा सम्यक् तत्परता के साथ यह अपील पेश की गई हैं, फिर भी सद्भाविक रूप से अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested

हेतु अलग से धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर विवादित आराजी का नये सिरे से विभाजन किये जाने का आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 1/2 व 1/3 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 खेता ने राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु प्रार्थना–पत्र एवं विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान के हिस्से अनुसार भूमि का विभाजन एवं कब्जा–काश्त की ताईद करते हुए समान लगान का विभाजन होने के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर पक्षकारान की स्वतंत्र सहमति के आधार पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश के तहत विवादित भूमि का विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राजात हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया गया। अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेंट सं. 1 स्वंय की उपस्थिति में उसकी स्वतंत्र सहमति पर पारित किया गया हैं ऐसे में अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रतिकूल कथन करने से विबंधित हैं। एक बार राजस्व अधिकारी के समक्ष अपनी स्वतंत्र सहमति व्यक्त करने के बाद उसके विरूद्ध प्रतिकूल कथन करने से बाधित हैं तथा सहमति से किये गये विभाजन के विरूद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं हैं। अपीलांट द्वारा पूर्व में किये गये बाहमी बंटवाड़े एवं मौके–कब्जे के अनुसार विभाजन स्वीकार करने के पश्चात अब उसकी नीयत में खोट आ गया हैं तथा रेस्पोडेंट द्वारा विकसित की गई भूमि को हड़पने एवं रेस्पो0 को खर्चे से जैरबार करने की नीयत से यह अपील प्रस्तुत की गई हैं जो सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

6. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा तुलछीनगर के खसरा नम्बर [illegible], 1074/978, 1076/994 रकबा क्रमशः 00–07, [illegible] कुल रकबा 121–17 बीघा के खातेदारान खेता, भीं[illegible] पि0 [illegible] जाट सा0 देह ने प्रार्थना पत्र दिनांक 07.07.2015 को राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार–2015 के तहत आयोजित शिविर में पंजीकृत प्रार्थना पत्र तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishi Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच, ग्राम पंचायत गालाबेरी द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी शिवकर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा तुलछीनगर के खाता संख्या 11 खसरा नं. 992, 993, 1074/978, 1076/994 कुल रकबा 121–17 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही है तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2146–2148 दिनांक 07.07.2015 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलाधीन आदेश उसकी अनुपस्थिति में पारित किया गया हैं तथा अपीलाधीन कार्यवाही पर उसके हस्ताक्षर धोखे में रखकर किये गये हैं। अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि अपीलाधीन विभाजन के द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपने हिस्से की भूमि सड़क पर ली गई हैं जबकि अपीलांट को सड़क पर भूमि कम दी गई हैं। इस संबंध में अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव के संलग्न विभाजन नक्शा का अवलोकन से पाया जाता हैं कि रेसपोडेंट सं. 1 को उसके हिस्से में आने वाली भूमि सड़क के दोनो तरफ ही दी गई हैं जबकि अपीलांट को एक हिस्सा सड़क पर तथा दूसरा हिस्सा सड़क से दूर दिया गया हैं एवं इस हिस्से को सड़क मार्ग से नहीं जोड़ा गया हैं। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या उक्त विभाजन राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 में यथा विहित प्रावधानों के प्रतिकूल होने से बहाल रखे जाने योग्य नही हैं। राजस्व नियमावली के अन्तर्गत संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में भूमि की किस्म एवं अवस्थिति को मध्य नजर रखा जाना आवश्यक हैं जबकि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के हिस्से में आये एक भाग को सड़क की पहुंच से दूर रखा गया हैं जिससे उसे आने–जाने में कठिनाईयों का सामना करना पडेंगा। इसके अलावा अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि मौके पर बाहमी तौर पर किये गये बंटवाड़े से भिन्न अपीलाधीन विभाजन होने से अपीलांट की ढाणी व बाड़े [illegible] हिस्से में चले गये हैं। इस प्रकार तहसीलदार बाड़मेर द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है तथा रास्ता का प्रावधान भी समुचित रूप से नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट्स की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर हैं किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 07.07.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विश्राम मीणा)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vish Ram Meena
Date: 2021.04.09 11:26:37 IST
Reason: SelfAttested